अनुसूची 14 प्रपत्र सं0 563 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

7/4/15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

आपूर्ति अपील वाद संख्या–36 / डी0एम0 / 2014

राम लगन पासवान बनाम सरकार

आदेश

यह अपील वाद रामलगन पासवान के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के आरोप अभिलेख सं0–52 / 2014 में दिनांक–12.09.14 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली ग्राम–कुंडिला के विक्रेता है। दिनांक–19.06.14 को संयुक्त जांच दल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रतनी–फरीदपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, घोषी के द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जांच की गयी थी जिसमें निम्नांकित अनियमितता प्रतिवेदित किया गया है :–

1. अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा जांच दल के समक्ष पी0एच0एच0 अनाज का भंडार पंजी, अन्त्योदय योजना का भंडार पंजी तथा किरासन तेल का भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. किरासन तेल का वितरण पंजी उपस्थापित नहीं किया गया।
3. अपीलार्थी विक्रेता के द्वारा चार माह का राशन का उठाव कर दो माह का राशन वितरित किया जाता है।
4. अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा जाली विक्री पंजी संधारित किया जाता है।

संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर कारण पृच्छा की मांग अपीलार्थी (विक्रेता) से की गयी। अपीलार्थी के द्वारा कारण पृच्छा का जवाब सभी आरोपों को अस्वीकार कर अपीलार्थी के द्वारा दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रतनी–फरीदपुर को अपीलार्थी के स्पष्टीकरण के आलोक में भंडार का सत्यापन कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा गलत तथा द्वेष भावना से ग्रसित होकर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उपभोक्ताओं के द्वारा दिये गये ब्यान तैयार किया गया परन्तु उस ब्यान पर ब्यानकर्ता का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान संदेहास्पद तथा गलत है।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा पुरक कारण पृच्छा की मांग की गयी तथा दिनांक–05.09.14 / 08.09.14 को होकर साक्ष के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी उपस्थित होकर पुरक कारण पृच्छा का जवाब दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपीलाथी का अनुज्ञप्ति सं0–56 / 2007 को स्वेच्छाचारिता से नया आरोप जो दिनांक–12.09.14 के नोटिस में प्रतिवेदित नहीं था के आधार पर रद्द कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश में इस तरह का व्यवस्था दिया गया है कि कारण पृच्छा में जो तथ्य प्रतिवेदित नहीं है उसके आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जाना है। अपीलार्थी का कहना है कि रद्गी आदेश माह अक्टुबर के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ। दिनांक–20.10.14 को आदेश का नकल प्राप्त हुआ। अपील समय के अंदर है। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश